कार्यालय अधिष्ठाता

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

E-mail – deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com Phone No. 07162-297009 Pincode-480001

क्रमांक/स्था0/विज्ञप्त /2025/185 छिंदवाड़ा दिनांक – 06/01/2025

//विज्ञप्ति//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक एफ 4–60/2017/55–2, भोपाल दिनांक 06–05–2017/12–05–2017 के द्वारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के लिए पद सृजित किये गये है। मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. /1/55/2018 भोपाल दिनांक 07–04–2018 के द्वारा "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018" एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्र. 378(ए) /स्था./राज/2022, भोपाल दिनांक 12/04/2022 को जारी नवीन अनुसूची के अनुसार रिक्त पदो पर भर्ती किया जाना है। मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक एफ–1–1–1–02–2023–1–पचपन भोपाल दिनांक 20 अप्रैल 2023 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र क्र. एफ–1–1–102–2023–1–पचपन, भोपाल दिनांक 25 मई 2023 के अनुसार संस्था में रिक्त, पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के पदो को सीधी भर्ती की प्रक्रिया के द्वारा पूर्ति की जाना है।

प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी के निम्नलिखित पदों के लिये आवेदन पत्र निर्धारित संलग्न प्रपत्र में अधिष्ठाता कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है। समस्त प्रवर्गो के आवेदक आवेदन शुल्क एक समान प्रत्येक पद हेतु रूपये 1000/–(शब्दों मे रूपये एक हजार मात्र/–) अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा के नाम से डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.)/आनलाईन माध्यम से जमा कर (जिसमें ट्रांजेक्सन क्रमांक अथवा नम्बर दर्ज हो) आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करे। आवेदन शुल्क रसीद आवेदन के साथ संलग्न न करने पर आवेदक का आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

Account Details	
A/c Holder	**Dean Chhindwara Institute of Medical Sciences, Chhindwara**
Bank Name	**State Bank of India Circular Road Dist. Chhindwara Madhya Pradesh**
A/c No	**37739004173**
IFSC	**SBIN0000348**

आवेदन जमा करने की अंतिम **तिथि** 29/01/2025 **शाम 5:00** बजे तक है। तदउपरांत प्राप्त आवेदन अमान्य रहेगे।

Scanned with OKEN Scanner

प्राध्यापक पदों का विवरण विभागवार निम्नानुसार :–							
सं. क्र.	विभाग / विषय का नाम	विज्ञाप्ति पदों की संख्या	UR	OBC	SC	ST	EWS
1.	शिशुरोग विभाग	1	1	–	–	–	–
2.	नेत्र रोग विभाग	1	1	–	–	–	–
3.	निश्चेतना विभाग	1	1	–	–	–	–
4	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	1	1	–	–	–	–
5	जनरल मेडिसिन	1	1	–	–	–	–
	कुल पदो की संख्या	**5**	**5**	–	–	–	–

सह–प्राध्यापक पदों का विवरण विभागवार निम्नानुसार :–							
सं. क्र.	विभाग / विषय का नाम	विज्ञाप्ति पदों की संख्या	UR	OBC	SC	ST	EWS
1	जनरल सर्जरी विभाग	1	1	–	–	–	–
2	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	1	1	–	–	–	–
3	पैथोलॉजी विभाग	1	1	–	–	–	–
	कुल पदो की संख्या	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**

सहायक प्राध्यापक के पद जिन्हे विज्ञाप्ति किया जाना हैं–							
सं. क्र.	विभाग / विषय का नाम	विज्ञाप्ति पदों की संख्या	UR	OBC	SC	ST	EWS
1	एनाटॉमी विभाग	2	2	–	–	–	–
2	निश्चेतना विभाग	2	–	1	–	1	–
3	बायोकेमेस्ट्री विभाग	1	1	–	–	–	–
4	दंतरोग विभाग	1	1	–	–	–	–
5	फोरेसिंक मेडिसिन विभाग	1	1	–	–	–	–

Scanned with OKEN Scanner

6	जनरल मेडिसिन विभाग	2	–	1	–	1	–
7	जनरल सर्जरी विभाग	1	–	1	–	–	–
8	माइक्रोबायोलॉजी विभाग	2	2	–	–	–	–
9	अस्थिरोग विभाग	2	1	1	–	–	–
10	कान, नाक एवं गला विभाग	1	1	–	–	–	–
11	पैथोलॉजी विभाग	1	1	–	–	–	–
12	फार्मेकोलॉजी विभाग	2	2	–	–	–	–
13	फिजियोलॉजी विभाग	1	1	–	–	–	–
14	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	1	1	–	–	–	–
	कुल पद	**20**	**14**	**4**	**0**	**2**	**0**

आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद जिन्हे विज्ञापित किया जाना हैं–

सं. क्र.	विभाग/विषय का नाम	विज्ञाप्ति पदों की संख्या	UR	OBC	SC	ST	EWS
1.	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	12	3+1F	2+1F	2	2	1
	कुल पदो की संख्या	**12**	4	3	2	2	1

महिला चिकित्सा अधिकारी के पर जिन्हे विज्ञापित किया जाना हैं–

सं. क्र.	विभाग/विषय का नाम	विज्ञाप्ति पदों की संख्या	UR	OBC	SC	ST	EWS
1.	महिला चिकित्सा अधिकारी	2	1	1	–	–	–
	कुल पदो की संख्या	2	1	1	–	–	–

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की वेबसाईट **www.govtmedicalcollegechhindwara.com** एवं **www.medicaleducation.mp.gov.in** पर उपलब्ध है।

1. आवेदन पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर **अधिष्ठाता कार्यालय, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा, खजरी रोड जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड**– 480001 मे आवेदन पत्र जमा कराये जा सकते हैं, एवं निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित डाक के माध्यम से भेजा जाये ।
2. आवेदन पत्र डाक के द्वारा भेजे जाने पर पता स्पष्ट रूप से बिन्दु क्रमांक 01 में दर्शित पूर्ण पते पर ही भेजा जावें, शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन पर विभाग का नाम............................ तथा आवेदित पद का नाम.................... और आरक्षण रोस्टर अनुसार किस वर्ग का आवेदक हैं, और किस वर्ग के रिक्त पद पर आवेदन करता है, उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। तथा आवेदन प्रारूप में किसी भी प्रकार का अपलेखन किये जाने पर आवेदन पत्र स्वयं आमान्य रहेगा।
3. सभी शार्ट लिस्टेड आवेदकों को फोन द्वारा/ई–मेल द्वारा बुलाया जायेगा। साक्षात्कार की समय सारणी कॉलेज बेवसाइट पर प्रदर्शित कि जायेगीं। साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची केवल चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट **www.govtmedicalcollegechhindwara.com** पर अपलोड की जावेगी।
4. आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
5. केवल शार्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा। यदि पद रिक्त हुए तो बाद में अन्य उम्मीदवारों को बुलाया जावेगा।
6. राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी, जिसका अक्षरतः पालन किया जावेगा।
7. चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी उम्मीदवारों के लिये बाध्य होगा।

8. वेतनमान

पद	नियमित नियुक्ति हेतु वेतनमान
प्राध्यापक	1,44,200–2,18,200 + डी0ए0
सह प्राध्यापक	1,31,400–2,17,100 + डी0ए0
सहायक प्राध्यापक	68,900–1,39,900 + डी0ए0
आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	56,100–1,77,500 + डी0ए0
महिला चिकित्सा अधिकारी	56,100–1,77,500 + डी0ए0

टीप –समस्त पदो के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

9. आयु सीमा

पद	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा
प्राध्यापक	35 वर्ष	विज्ञापन दिनांक से अधिवार्षिकीय आयु (65 वर्ष) पूर्ण करने में न्यूनतम 05 वर्ष शेष हो।
सह प्राध्यापक	30 वर्ष	विज्ञापन दिनांक से अधिवार्षिकीय आयु (65 वर्ष) पूर्ण करने में न्यूनतम 05 वर्ष शेष हो।
सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष	50 वर्ष
आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	40 वर्ष
महिला चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	40 वर्ष

टीप – आयु की गणना 01 जनवरी 2025 की दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

2. पदो पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- **जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।**
- उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचितजाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, F = महिला पद हेतु आरक्षित है।
- आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।

3. अर्हताये :–

a) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन.एम.सी.) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता। (भारत का राजपत्र दिनांक 14 फरवरी 2022)

b) आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी – एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविघालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

c) महिला चिकित्सा अधिकारी – एम.बी.बी.एस./एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविघालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

4. निरर्हतायें–

12.1–विकृत चित्त वाला होने पर।

12.2–दुश्चरित्र होने पर।

12.3–शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

12.4–नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हताकारी माना जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

12.5–विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने पहले पति/पत्नि के जीवित रहते हुये पुनः विवाह किया हो अथवा किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। दिनांक 26/01/2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गई हो वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात अग्रिम प्रसव में 02 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अनर्हताकारी नहीं होगा।

12.6–कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जावेगी साथ ही ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी संस्थित की जावेगी, जिसके लिए व्यक्ति स्वयं ही जबाबदेह रहेगा।

12.7–कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप प्रदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

12.8–ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का अपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के अपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो तो वह व्यक्ति नियुक्ति के लिए अपात्र रहेगा तथ्य को छिपाते हुए नियुक्ति प्राप्त करता है तो जानकारी पता चलने पर विधि संवत कार्यवाही की जावेगी तथा नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी ।

12.9–स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथाऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (मेडिकल बोर्ड) कम का न हो।

12.10–व्यवसायिक आचरण – संबंधित चिकित्सकीय सेवा के लिए लागू आयुर्विज्ञान परिषद् तथा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दंत परिषद् समय–समय पर निर्धारित मर्यादाओं, मापदण्डों एवं आपेक्षओं के अनुरूप होना चाहिए। सामान्य आचरण राज्य शासन की सेवा में कार्यरत समकक्ष व्यक्तियों पर लागू आचरण नियमों के अनुरूप लागू होगे।

5. चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति **प्रथमतः एक वर्ष की अवधि** के लिये परीवीक्षा पर होगी।
6. शासकीय/स्वशासी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्त्तव्यों का तथा समय–समय पर सौपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
8. ऐसे विभाग जिनमें गैर चिकित्सा शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियो को नियुक्त किया जा सकता है, उनमे चिकित्सकीय शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदको को वरीयता दी जायेगी।
9. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व सेवा से त्याग पत्र देने पर चिकित्सा शिक्षकों को **एक वर्ष का वेतन और मानदेय वसूल** करने के प्रावधान रहेगा, जो भी पहले हो तक संबंधित छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे **01 वर्ष का वेतन/मानदेय** के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
10. आवेदक का चयन होने पर संस्था में उपस्थिति देने के पूर्व में एन.एम.सी द्वारा सत्यापित उक्त पद के लिये अर्हता TEQ प्रमाण पत्र 1 माह के अंदर जमा करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

17. **आवेदन करने की अंतिम तिथि** :—अधिष्ठाता कार्यालय, आवक जावक शाखा, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा, खजरी रोड जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड— 480001 में आवेदन पत्र दिनांक 29/01/2025 सायं 05:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते है। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।
18. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
19. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की वेबसाईट "**www.govtmedicalcollege chhindwara.com**" एवं "**www.medicaleducation.mp.gov.in**"पर उपलब्ध है।
20. चयन प्रक्रिया मै किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा।
21. विज्ञपित पदों का विवरण पत्रक संलग्न जिसमें आवेदन आमंत्रित है।
22. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण अधिनियम के परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप :—

1—यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे।
2—चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
3—आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है।
4— चयन प्रक्रिया/प्रकशित विज्ञाप्ति में यदि कोई कम्यूटर त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन आधिकारी/अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner